न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 45A /2024
पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

तारीख रजू :– 26-4-24

R.A.S.

रामनिवास पुत्र श्री जमनालाल जाति राय (भट्ट ब्राहम्ण) निवासी जाट की सराय हिण्डौन सिटी जिला करौली ———————————————— सायल

बनाम

1. अमृतलाल उर्फ लोहरे पुत्र श्री जमनालाल जाति राय (भट्ट ब्राहम्ण) निवासी जाट की सराय हिण्डौन सिटी जिला करौली
2. भविष्य कुमार पुत्र बृजकिशोर जाति ब्राहम्ण निवासी चन्द्रा विधा मन्दिर सीनियर सैकण्ड्री स्कूल के सामने मोहन नगर हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली
3. जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील हिण्डौन
4. उप पंजीयक, तहसील हिण्डौन ———————————— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट सायल
2. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट गैरसायल सं01,2

निर्णय दिनांक :– 03.06.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायल ने गैरसायलान के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायल ने उपरोक्त उनवानी दावा बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर दिया है। जिसमें सायल को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1698 रकबा 0.75 है0, 1703 रकबा 0.01 है0, 1704 रकबा 0.58 है0,1705 रकबा 0.66 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 2.00 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में स्थित है। जो पूर्व में सायल एवं गैरसायल सं01 के पिता जमनालाल पुत्र रामहेत की खातदारी में थी। जमनालाल के फौत होने के [illegible] स्वाभाविक विरासत उक्त भूमि सायल एवं गैरसायल सं01 के नाम विरासत [illegible] खुलकर उनके हक में खातेदारी बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज हो गई।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि उक्त आराजी मुतजिका मद नं02 प्रार्थना पत्र का सायल एवं गैरसायल सं01 ने आपसी सहमति से तहसीलदार हिण्डौन से बंटवारा करा लिया है तथा पृथक पृथक खातेदारी अपने अपने नाम करा ली,

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:19:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1698 रकबा 0.75 है0, 10161/1705 रकबा 0.25 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 है0 कस्बा हिण्डौन की खातेदारी सायल रामनिवास के नाम वर्तमान रिकार्ड में दर्ज हो गई तथा खसरा नम्बर 1703 रकबा 0.01 है0, 1704 रकबा 0.58 है0, 10160/1705 रकबा 0.16 है0, 10162/1705 रकबा 0.25 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 1.00 है0 वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी गैरसायल सं01 अमृतलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं03 प्रार्थना पत्र की आराजीयात में सायल एवं गैरसायल सं01 ने अपने अपने हिस्से में आवागमन को सुगम व सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 25.07.2017 को एक बाहमी राजीनामा आपसी सहमति से 50/–रूपया के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर तहरीर कर लिया जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1698 व 1704 के मध्य की डोल पर होकर 30 फिट चौडा रास्ता पूर्व से पश्चिम पूरी लम्बाई में सायल एवं गैरसायल सं01 के द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि में से 15–15 फिट भूमि छोडते हुए रास्ता मौके पर कायम किया जो मौके पर बदस्तूर है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 10161/1705 रकबा 0.25 है0 एवं खसरा नम्बर 10162/1705 रकबा 0.25 है0 के मध्य की डोल पर होकर 20 फिट चौडा रास्ता पूर्व से पश्चिम पूरी लम्बाई में सायल एवं गैरसायल सं01 के द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि में से 10–10 फिट भूमि छोडते हुए रास्ता मौके पर कायम किया और उसका नक्शा भी तहरीर किया गया और उस पर सायल एवं गैरसायल सं01 ने तथा गवाहान श्री पदमेश कुमार शर्मा, श्री सुनील कुमार शर्मा, आदि के हस्ताक्षर कराकर उक्त राजीनामा मय नक्शा को दिनांक 25.07.2017 को नोटरी पब्लिक श्री लोकेश विजय से तस्दीक करा दिया और मौके पर कायम किये गये रास्ते से आवागमन सुचारू कर दिया। इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि गैरसायल सं01 मन में बेईमानी आ गई और उसने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 10162/1705 रकबा 0.25 है0 के दक्षिणी दिशा में स्थित सायल एवं गैरसायल सं01 के शामिलाती रास्ता को खत्म करने की गरज से उक्त आराजीयात को गैरसायल सं02 को दिनांक 17.11.2017 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया तथा गैरसायल सं02 के नाम उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी का अमल हो गया है। इस प्रकार सायल एवं गैरसायल सं01 के मध्य 25.07.2017 को हुए राजीनामा (बंटवारा पत्र) की शर्तों का उल्लंघन करते हुए गैरसायल सं01 ने बदयान्तिपूर्वक खसरा नम्बर 10162/1705 रकबा 0.25 है0 कस्बा हिण्डौन के दक्षिण दिशा की 10 फिट चौडाई की लगभग 0.04 है0 रास्ता की भूमि को गैरसायल सं02 को बेचान कर दिया है तथा गैरसायल सं02 उक्त राजीनामा में खसरा नम्बर 10162/1705 रकबा 0.25 है0 कस्बा हिण्डौन के दक्षिण दिशा की 10 फिट चौडाई की लगभग 0.04 है0 रास्ता की भूमि पर पुख्ता बाउण्ड्रीबाल करने पर आमादा हैं और मानने को तैयार नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि सायल की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 10161/1705 रकबा 0.25 है0 वाके कस्बा [illegible] गैरसायल सं01 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 10160/17[illegible] खसरा नम्बर 10162/1705 रकबा 0.25 है0 के मध्य की भूमि [illegible] सायल सं01 ने मुताविक राजीनामा (बंटवारा) दिनांक 25.07.2017 की पालना न[illegible] करते हुए अर्थात खसरा नम्बर 10162/1705 में से दक्षिणी दिशा की तरफ 10 फिट रास्ता छोडे बिना ही फोर्जरी तरीके से खसरा नम्बर 10162/1705 की सम्पूर्ण भूमि गैरसायल सं02 के हक में

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:19:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गलत व अवैध रूप से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.11.2017 को बेचान कर दिया तथा गैरसायल सं01 व 2 खसरा नम्बर 10162/1705 के दक्षिणी दिशा की तरफ के 10 फिट चौडाई के रास्ता को समाप्त करने की धमकी दे रहे हैं। गैरसायल सं01 के द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 10160/1705 रकबा 0.16 है0 कस्बा हिण्डौन की बाउण्ड्रीबाल का निर्माण करने पर उतारू हैं जो कि सायल की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 10161/1705 के दक्षिणी दिशा में स्थित है में से भी बिना 10 फिट रास्ता छोडे ही निर्माण करना चाहते हैं। जिस पर सायल ने उन्हें काफी समझाया कि आपने राजीनामा दिनांक 25.07.2017 की शर्तों का उल्लंघन तो कर दिया है तथा रास्ता की भूमि को भी आपके द्वारा गैरसायल सं01 के हक में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया है तो आप अब अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 10160/1705 रकबा 0.16 है0 में से 10 फिट चौडाई का सायल की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 10161/1705 रकबा 0.25 है0 कस्बा हिण्डौन के लगमा छोड दो। किन्तु गैरसायल सं01 मानने को तैयार नहीं है। जिस बाबत् राजीनामा दिनांक 25.07.2017 के गवाहों ने भी गैरसायल सं01 को काफी समझाने का प्रयास किया कि आपने खसरा नम्बर 10162/1705 की सम्पूर्ण भूमि को रास्ता सहित बेचान कर दिया है तो अब सायल को खसरा नम्बर 10160/1705 में से 10 फिट रास्ता छोड दो और उक्त रास्ते का अंकन मुताविक राजीनामा बंटवारा दिनांक 25.07.2017 के अनुरूप राजस्व रिकार्ड में तहसील में चलकर रास्ता दर्ज करा दो, जिस पर गैरसायल 1, 2 ने इंकार दिया तथा समझाने पर किसी की भी मानने को तैयार नहीं है। तथा खसरा नम्बर 10160/1705 में लगभग 100 फिट नींव की खुदाई कर दी है तथा खण्डा गिट्टी मौके पर पटक लिये हैं। बाउण्ड्रीबाल का निर्माण करने पर उतारू है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि गैरसायल नं02 ने गैरसायल सं01 से खरीदशुदा भूमि खसरा नम्बर 10162/1705 रकबा 0.25 है0 कस्बा हिण्डौन में से मुताविक राजीनामा दिनांक 25.07.2017 के अनुसार दक्षिणी दिशा की तरफ 10 फिट रास्ता के लिए छोडी गई भूमि को अवैध रूप से दबाते हुए बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये और बिना अनुमति के विधि विरूद्ध से उस पर पुख्ता बाउण्ड्रीबाल कर दी, जिसकी जानकारी सायल को होने पर सायल ने गैरसायल नं01 से इस सम्बन्ध में राजीनामा का हवाला देते हुए कहन सुन की तो गैरसायल सं01 ने सायल को यह सद्भाविक विश्वास दिलाकर आश्वस्त किया कि मैं अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 10160/1705 रकबा 0.16 है0 कस्बा हिण्डौन में से उत्तरी दिशा की तरफा 10 फिट चौडाई में रास्ता के लिए छोड दूंगा और उसका अमल भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दूंगा। जिस पर सायल ने गैरसायल नं01 के खास भाई होने के कारण सद्भाविक विश्वास कर लिया, मगर सायल के काफी कहने के उपरान्त भी गैरसायल सं01 ने भूमि खसरा नम्बर 10160/1705 रकबा 0.16 है0 कस्बा हिण्डौन में से उत्तरी दिशा की तरफा 10 फिट चौडाई में रास्ता के लिए नहीं छोडी और ना ही राजस्व रिकार्ड में उसे रास्ते के रूप में दर्ज कराया। बार– बार कहने के उपरान्त भी टालता रहा।

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि ब[illegible]क 15.04.2024 को दिन के करीब 11 बजे की बात है कि गैरसा[illegible] की भूमि खसरा नम्बर 10160/1705 रकबा 0.16 है0 वाके कस्बा [illegible] उत्तरी दिशा की तरफ रास्ता के लिए 10 फिट भूमि छोडे बिना ही नींव खोद दी। जिसकी जानकारी सायल को होने पर सायल ने मौके पर पहुँचकर गैरसायल सं01 से कहा कि तुमने तो मुझे उक्त भूमि में से उत्तरी दिशा की तरफा 10 फिट भूमि रास्ता के लिए छोडना कहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:19:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

था और मैने भी 10 फिट भूमि मुताविक आपसी सहमति रास्ता के लिए 10 फिट भूमि छोडी हुई है। तुम रास्ता के लिए बिना भूमि छोडे बाउण्ड्रीबाल का निर्माण क्यों कर रहे हो, जिस पर गैरसायल नं01 ने कहा कि मैंने तो चालाकी से अपना काम निकाल लिया है। मैं अब रास्ते के लिए कोई जमीन नहीं छोडूंगा और पुख्ता बाउण्ड्रीबाल का निर्माण करूंगा और ना ही राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज कराऊँगा। तुमसे बने सो कर लेना। अगर गैरसायलान अपने उक्त नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षति पूर्ति इन टर्म्स ऑफ मनी भी नहीं होगी। इस प्रकार सायल के हक में अपूर्तनीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे खसरा नम्बर 10160/1705 रकबा 0.16 है0 में से उत्तरी दिशा की तरफ 10 फिट एवं 10161/1705 रकबा 0.25 है0 में से दक्षिणी दिशा की तरफ10 फिट भूमि पूर्व से पश्चिम पूरी लम्बाई तक अथवा खसरा नम्बर 10162/1705 रकबा 0.25 है0 में से दक्षिणी दिशा की तरफ 10 फिट एवं खसरा नम्बर 10161/1705 रकबा 0.25 है0 में से उत्तरी दिशा की तरफ की 10 फिट भूमि पूर्व से पश्चिम पूरी लम्बाई तक के रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें और ना ही रास्तों को बन्द करें और ना ही उक्त रास्तों की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन वयय करें और ना ही उसका कोई दस्तावेज तहरीर तकमील व पंजीबद्ध करावें। गैरसायलान ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे सायल के उक्त रास्तों पर किसी प्रकार की कोई क्षति पहुँचे। खसरा नम्बर 10160/1705 रकबा 0.16 है0, 10162/1705 रकबा 0.25 है0 कस्बा हिण्डौन के रिकार्ड व मौके की यथास्थित बनाये रखें तथा उक्त भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायल सं0 3 व 4 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। गैरसायल सं0 1 व 2 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र कामद नं01 गलत है, अस्वीकार है, सायल को प्रकरण में सफलता के कोई आसार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 तहरीर किया गया है, स्वीकार है। विवादग्रस्त खसरा नम्बर में सायल व गैरसायलान की संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है, खुलासा विशेष विवरण में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 जिस प्रकार तहरीर किया गया है स्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। दिनांक 25.07.2017 को सायल एवं गैरसायलान के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ और ना ही 50/—रूपया के स्टाम्प पर कोई लिखापढी की गई, रास्ता छोडने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता क्योंकि सायल एवं गैरसायलान के दोनों के हिस्सों बाबत् शेष में पूर्व से रास्ता मौजूद है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं05 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत है, अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं06 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत है, अस्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:19:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं07 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत है, अस्वीकार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं08 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। सायल के पक्ष में प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू साबित नहीं है।

विशेष कथन :–

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 09 में दर्ज किया है कि सायल द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र में सायल द्वारा सायल एवं गैरसायलान के मध्य मूलतः रास्ते की भूमि का विवाद होने बाबत् अंकन किया है एवं रास्ते की भूमि पर गैरसायलान द्वारा दिनांक 15.04.2024 को अतिक्रमण कर लेने एवं निर्माण कार्य करने से वाद हैतुक उत्पन्न होने बाबत् अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट अंकन किया है ऐसी स्थिति में जहॉ सायल एवं गैरसायलान के बीच विवाद का विषय रास्ते अथवा रास्ते की भूमि को लेकर है। सायल एवं गैरसायलान के ऐसे अधिकार सिविल अधिकारों की श्रेणी में आते हैं एवं सिविल अधिकारें का हनन का वाद सिविल न्यायालय द्वारा ही पोषनीय है। इसलिए सायल का प्रार्थना पत्र टी.आई. खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि सायल द्वारा गैरसायल की खातेदारी की आराजीयात में होकर रास्ते की घोषणा की मॉग तथाकथित अनरजिस्टर्ड दस्तावेज तारीखी 25.07.2017 के आधार पर की गई है अर्थात सायल एक ऐसे दस्तावेज जो कि अनरजिस्टर्ड एवं अनसफिसिएन्ट स्टाम्प पर तकमील किया जाना प्रस्तावित है के आधार पर खातेदारी की घोषणा की मांग उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से कर रहा है जबकि ऐसे अनरजिस्टर्ड एवं अनसफीसियेन्ट स्टाम्प दस्तावेज के आधार पर प्रार्थना पत्र टी. आई. इस न्यायालय द्वारा पोषणीय नहीं है। प्रार्थना पत्र सायल खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि सायल द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र तथाकथित स्टाम्प तारीखी 25.07.2017 की अनुपालना कराने के आश्य से प्रस्तुत किया गया है अर्थात सायल द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र टी.आई. तथाकथित दस्तावेज (राजीनामा) के तकमील तस्दीक किये जाने से 7 साल बाद प्रस्तुत किया है। इस प्रकारण प्रार्थना पत्र सायल खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि गैरसायलान की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है, जिससे सायल का कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। इसलिए खातेदार को वैधानिक रूप से किन्हीं भी परिस्थितियों में पाबन्द किया जाना ना ही तो वैधानिक है और ना ही न्यायसंगत है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं013 में दर्ज किया है कि सायल ने समस्त मेटेरियत को छिपाकर हाईड एण्ड सीक के आधार पर उक्त वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है, जो हर आईने में खारिज फरमाये जाने योग्य है।

अतःसायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायल ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 किता–3, फोटो प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन मुकदमा 74/2017 उनवानी सुनील कुमार बनाम रामनिवास वगैराह में पारित आदेश दिनांक 25.07.2017 की आदेशिका, फोटो प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन मुकदमा 74/2017 उनवानी सुनील कुमार बनाम रामनिवास वगैराह वाद पत्र , फोटो प्रति न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:19:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन मुकदमा 64/2017 उनवानी सुनील कुमार बनाम रामनिवास वगैराह की आदेशिका, फोटो प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन मुकदमा 64/2017 उनवानी सुनील कुमार बनाम रामनिवास वगैराह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, फोटो प्रति नोटेरी पब्लिक से तस्दीकशुदा राजीनामा बंटवारा पत्र दिनांक 25.07.2017 जो रामनिवास,अमृतलाल पिसरान स्व0 श्री जमनालाल जाति राय ब्राहम्ण निवासी जाट की सराय हिण्डौन सिटी जिला करौली के द्वारा लिखा गया है पेश की हैं। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायल ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायल सं01 व 2 ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायल की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 10161/1705 रकबा 0.25 है0, 1698 रकबा 0.75 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी रामनिवास पुत्र जमनालाल जाति राय निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 10160/1705 रकबा 0.16 है0, 1703 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 कुआ, 1704 रकबा 0.58 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.75 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी अमृतलाल पुत्र जमनालाल जाति राय निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 10162/1705 रकबा 0.25 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी भविष्य पुत्र बृजकिशोर जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नोटेरी पब्लिक से तस्दीकशुदा राजीनामा बंटवारा पत्र दिनांक 25.07.2017 की लिखावट में अंकित किया है कि हम कि रामनिवास , अमृतलाल पुत्र स्व0 श्री जमनालाल जाति राय ब्राहम्ण निवासी जाट की सराय हिण्डौन सिटी जिला करौली – यह कि हम पक्षकारान दोनों सगे भाई है। जिनकी कृषि भूमि आराजी खाता नम्बर 1698, 1704, 10160/1705, 10161/1705, 10162/1705, वाके कस्बा हिण्डौन में स्थित है। जिसमें दोनों भाईयों की अलग अलग खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि पैतृक है। जिसका मौके पर विभाजन नहीं हुआ है। गांव के गणमान्य व्यक्तियों एवं रिश्तेदारों ने हमारा उक्त कृषि भूमि बंटवारा करवा दिया है। संलग्न नक्शा लाल रंग की दर्शायी आराजी रामनिवास की तथा हरे रंग की दर्शायी आराजी अमृतलाल के हिस्से में रहेगी। संलग्न नक्शे में रास्ता सामलात क्रमश 30 फिट व 20 फिट रास्ता चौडा दर्शाया गया है नीले रंग का है। उक्त दोनों रास्तो में दोनो भाई [illegible] से क्रमशः 15–15 फिट व 10–10 फिट जगह छोडेंगे तथा उक्त दोनों [illegible] निर्माण में दोनों भाई आधा आधा भहन करेंगे तथा दोनों पक्ष [illegible] तथा राजस्व मुकदमा सुनील कुमार बनाम रामनिवास उपखण्ड कार्यालय हिण्डौन से खारिज कराकर व स्टे को खारिज कराकर नकल दोनों भाईयों को देगा। स्टे हटने के एक दिन बाद ही सिवायचक भूमि संलग्न नक्शे के अनुसार रामनिवास की भूमि में निर्माण कर सकेगा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:19:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

निर्माण से अमृतलाल को क्षति होती है तो रामनिवास उसकी पूर्ति करेगा। अतः यह राजीनामा (बंटवारा) दोनों पक्षों की सहमति से बिना किसी दबाब व बिना नशा पते के व पूर्ण होश हवाश में कीमती स्टाम्प 50/–रूपया पर लिख दिया तथा इस राजीनामा (बंटवारानामा) से जो भी पक्ष मुकरेगा वह राज पंच में झूंठा माना जायेगा। हम दोनों पक्ष उक्त राजीनामा से सहमत होकर आज दिनांक 25.07.2017 को वमुकाम हिण्डौन लिख दिया। वक्त जरूरत काम आवे। उक्त लिखावट पर एक नोट भी अंकित किया हुआ है कि आज से पूर्व उक्त बटवारे के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही व लिखावट निरस्त मानी जायेगी। उक्त राजीनामा पर दोनों पक्ष रामनिवास के हस्ताक्षर एवं अमृतलाल की निशानी शिब्त है तथा गवाह के रूप में सुनील कुमार शर्मा, पदमेश शर्मा एडवोकेट वैर, कान्ता प्रसाद, सतीश शर्मा पुत्र शिवचरणलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन के व अन्य गवाहान के हस्ताक्षर है तथा उक्त राजीनामा (बंटवारा) को दिनांक 25.07.2017 को ही श्री लोकेश कुमार विजय नोटेरी पब्लिक हिण्डौन के यहॉ क्रमांक 151/2017 पर रजिस्टर्ड करवाया गया है।

फोटो प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन मुकदमा 74/2017 उनवानी सुनील कुमार शर्मा पुत्र रामनिवास शर्मा बनाम रामनिवास वगैराह में पारित आदेश दिनांक 25.07.2017 की आदेशिका में अंकित किया है कि पत्रावली पेश हुई। वकील वादी ने पत्रावली में पैरवी करने से इन्कार किया। वादी भी उपस्थित नहीं। अतः दावा वादी अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

फोटो प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन मुकदमा 74/2017 उनवानी सुनील कुमार शर्मा पुत्र रामनिवास शर्मा बनाम रामनिवास वगैराह वाद पत्र बाबत् इस्तकरार हक, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का विवादित आराजी खसरा नम्बर 1698 रकबा 0.75 है0, 1703 रकबा 0.01 है0, 1704 रकबा 0.58 है0, 10160/1705 रकबा 0.16 है0, 10161/1705 रकबा 0.25 है0, 10162/1705 रकबा 0.25 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन के बाबत् पेश किया गया था। जिसमें भी अमृतलाल उर्फ लोहरे पुत्र जमनालाल प्रतिवादी सं02 था।

फोटो प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन मुकदमा 64/2017 उनवानी सुनील कुमार शर्मा पुत्र रामनिवास शर्मा बनाम रामनिवास वगैराह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की आदेशिका दिनांक 28.06.2017 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1698 रकबा 0.75 है0, 1703 रकबा 0.01 है0, 1704 रकबा 0.58 है0, 10160/1705 रकबा 0.16 है0, 10161/1705 रकबा 0.25 है0, 10162/1705 रकबा 0.25 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए गैरसायलान को पाबन्द करते हुए आगामी तारीख 25.07.2017 नियत की गई तथा दिनांक 25.07.2017 की आदेशिका में अंकित किया है कि पत्रावली पेश हुई। वकील सायल ने पैरवी करने से इन्कार किया। सायल उपस्थित नहीं। पत्रावली में पैरवी बाबत् बार–बार आवाज दिलाई गई। अतः प्रार्थना पत्र अदम पैरवी एवं अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:19:16 IST
Reason: SelfAttested

फोटो प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन मुकदमा 64/2017 उनवानी सुनील कुमार बनाम रामनिवास वगैराह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का विवादित आराजी खसरा नम्बर 1698 रकबा 0.75 है0, 1703 रकबा 0.01 है0, 1704 रकबा 0.58 है0, 10160/1705 रकबा 0.16 है0, 10161/1705 रकबा 0.25 है0,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

10162/1705 रकबा 0.25 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन के बाबत् पेश किया गया था। जिसमें भी अमृतलाल उर्फ लोहरे पुत्र जमनालाल गैरसायल सं02 था।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1698 रकबा 0.75 है0, 1703 रकबा 0.01 है0, 1704 रकबा 0.58 है0, 1705 रकबा 0.66 है0 वाके कस्बा हिण्डौन सायल रामनिवास एवं गैरसायल सं01 अमृतलाल को अपने पिता जमनालाल से विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त भूमि का सायल रामनिवास एवं गैरसायल सं01 अमृतलाल के मध्य बंटवारा होने पर बंटवारे में खसरा नम्बर 1705 रकबा 0.66 है0 के तीन टुकडे क्रमशः 10160/1705 रकबा 0.16 है0, 10161/1705 रकबा 0.25 है0, 10162/1705 रकबा 0.25 है0 हो गये तथा खसरा नम्बर 1698 रकबा 0.75 है0, 10161/1705 रकबा 0.25 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.00 है0 भूमि सायल रामनिवास पुत्र जमनालाल के हिस्से में तथा खसरा नम्बर 1703 रकबा 0.01 है0, 1704 रकबा 0.58 है0, 10160/1705 रकबा 0.16 है0, 10162/1705 रकबा 0.25 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.00 है0 गैरसायल अमृतलाल पुत्र जमनालाल के हिस्से में आयी और इसी प्रकार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई । उक्त तथ्य प्रार्थना पत्र के मद नं01 व 2 में दर्ज हैं जिनको गैरसायल सं01 व 2 ने स्वीकार किया है। नोटेरी पब्लिक से तस्दीकशुदा राजीनामा बंटवारा पत्र दिनांक 25.07.2017 की लिखावट के अनुसार सायल रामनिवास, गैरसायल सं01 अमृतलाल ने अपनी खातेदारी अलग होने के पश्चात कृषि भूमि में आने जाने के लिए संलग्न नक्शे में रास्ता सामलात क्रमश 30 फिट व 20 फिट रास्ता चौडा दर्शाया गया है नीले रंग का है। उक्त दोनों रास्तो में दोनो भाई अपनी खातेदारी की भूमि में से क्रमशः 15–15 फिट व 10–10 फिट जगह छोडने तथा उक्त दोनों रास्तों के निर्माण में दोनों भाई आधा –आधा खर्चा भहन करने तथा दोनों पक्ष जमीन की पैमाईश कराने तथा राजस्व मुकदमा सुनील कुमार बनाम रामनिवास उपखण्ड कार्यालय हिण्डौन से खारिज कराकर व स्टे को खारिज कराकर नकल दोनों भाईयों को देने, स्टे हटने के एक दिन बाद ही सिवायचक भूमि संलग्न नक्शे के अनुसार रामनिवास की भूमि में निर्माण कर करने बाबत् हुआ है। जबकि गैरसायल अमृतलाल के द्वारा दिनांक 25.07.2017 की लिखावट नहीं करने बाबत जबाव में स्पष्ट उल्लेख किया है किन्तु सायल के द्वारा प्रस्तुत मुकदमा नं0 74/2017, 64/2017 उनवानी सुनील कुमार बनाम रामनिवास वगैराह क्रमशः दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की आदेशिका दिनांक 25.07.2017 एवं वाद पत्र टी.आई. प्रार्थना पत्र के अवलोकन से साफ जाहिर है कि दिनांक 25.07.2017 को सायल एवं गैरसायल सं01 के मध्य राजीनामा बंटवारा की उक्त लिखावट होने के उपरान्त ही सायल के पुत्र सुनील कुमार शर्मा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के समक्ष नियत तारीख पेशी 25.07.2017 को उपस्थित नहीं हुए तथा सुनील कुमार शर्मा के अधिवक्ता ने भी पैरवी करने से इंकार कर दिया तथा उक्त दोनों मुकदमों को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन ने दिनांक 25.07.2017 को अदम पैरबी, अदम हाजरी में खारिज किया गया था तथा उक्त मुकदमा 64/2017 में जारी अस्थाई आदेश भी मूल प्रार्थना पत्र के खारिज होने पर समाप्त हो गया। उक्त स्थगन समाप्त होने के उपरान्त गैरसायल सं01 ने इकरारनामा की शर्तो का उल्लंघन करते हुए अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 10162/1705 रकबा 0.25 है0 वाके कस्बा हिण्डौन को गैरसायल सं02 भविष्य पुत्र बृजकिशोर जाति ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन को बेचान कर दिया तथा नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 10162/1705 रकबा 0.25 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी भविष्य पुत्र बृजकिशोर जाति ब्राहम्ण निवासी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:19:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड हो गई। जबकि मुताविक राजीनामा बंटवारा पत्र दिनांक 25.07.2017 के अनुसार खसरा नम्बर 10162/1705 रकबा 0.25 है0 में से दक्षिण दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम पूरी लम्बाई में 10 फिट रास्ता छोडकर बेचान करना चाहिए था। जिसके बाबत् पक्षकारान में विवाद बना हुआ है। गैरसायलान का कथन है कि उक्त राजीनामा बंटवारा पत्र अनरजिस्टर्ड एवं अनसफीसियेन्ट स्टाम्प दस्तावेज है, जिसके आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। इसी बिन्दू के बाबत् गैरसायल सं01 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी खारिज किया जा चुका है। पक्षकारान अब वर्तमान में विवादित आराजीयात पृथक पृथक खाते के खातेदार कातश्कार है। पक्षकारान के अधिकार दावे में सुरक्षित हैं। सायल के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों के आधार पर सायल का प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्नीय क्षति का बिन्दू भी सायल के पक्ष में साबित नहीं होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । खसरा न0 10160/1705, 10161/1705, 10162/1705, 1698, 1703, 1704 वाके क[illegible] तहसील हिण्डौन में दिनांक 31.07.2024 को जारी अंतरिम स्थगन [illegible] है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से [illegible] दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 3/6/25 को [illegible]ाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 3/6/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:19:16 IST
Reason: SelfAttested